कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर–मालवा (म.प्र.)

//निविदा आमंत्रण//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नवीन जिला न्यायालय आगर–मालवा में निर्मित केंटीन का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति नवीन जिला न्यायालय भवन आगर–मालवा में निर्मित केंटीन का संचालन करना चाहता है, वह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला आगर–मालवा के कार्यालय में निविदा की शर्तों के अनुसार सीलबंद निविदा **दिनांक 18.11.2024 से अंतिम तिथि दिनांक 30.11.2024** के **शाम 05.00 बजे** तक प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि उपरांत प्रस्तुत निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

निविदा आमंत्रण संबंधी विज्ञप्ति एवं शर्तें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in/tenders एवं जिला न्यायालय आगर–मालवा की आधिकारिक वेबसाईट agar.dcourts.gov.in/notice-category/tenders पर देखी जा सकती है।

13/11/24

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर–मालवा (म.प्र.)

<u>निविदा हेतु शर्तें</u>

नवीन जिला न्यायालय भवन, आगर–मालवा में केंटीन के संचालन के संबंध में निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :–

01. निविदाकर्ता द्वारा निविदा आवेदन संलग्न प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करेगा और निविदा आवेदन के साथ राशि **रूपये 2,500/–** की ई0एम0डी राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर–मालवा के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

02. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ केंटीन संचालन हेतु **1,50,000/–रूपये** की राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा 01 वर्ष की अवधि के लिए जारी F.D.R. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर–मालवा के नाम से अमानत के रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जिस निविदाकर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकार की जाएगी, उस निविदाकर्ता हेतु एफ0डी0आर0 की अमानत राशि एक वर्ष के लिए सुरक्षित जमा रहेगी और उक्त एफ0डी0आर0 पर अर्जित ब्याज निविदाकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। शेष निविदाकर्ताओं, जिनकी निविदायें असफल रही हैं, द्वारा दी गयी एफ0डी0आर0 चयन प्रकिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जाएंगी।

03. केंटीन हेतु सर्विस बिल्डिंग में मौजूद कक्ष का **माप 32.2 गुणित 31.6** है। प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर **8,863/–रूपये (आठ हजार आठ सौ तिरेसठ रूपये)** या स्वीकृत निविदा के अनुसार प्रतिमाह निर्धारित की गई राशि के अनुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अग्रिम देय होगी, यदि लगातार तीन माह तक प्रीमियम राशि जमा करने में असफल रहता है, उक्त स्थिति में अमानत राशि जप्त कर किराया वसूल किया जाएगा तथा अनुबंध तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।

04. यह कि यदि निविदाकर्ता के द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या किन्ही अन्य कारणों से अनुबंध अवधि के पूर्व ही निरस्त की जाती है तो किसी भी परिस्थिति में निविदाकर्ता द्वारा जमा कराई गई राशि वापस प्राप्त क्ररने का अधिकारी नहीं रहेगा और एफ0डी0आर0 की राशि जप्त/राजसात की जाकर शासन के हित में जमा की जाएगी।

05. निविदाकर्ता जिसके पक्ष में निविदा स्वीकार की जाती है, केंटीन का संचालन अनुबंध निष्पादन तिथि से **01 वर्ष** के लिए करेगा। यदि आगामी वर्ष के लिए निविदाकर्ता पुनः केंटीन का संचालन चाहता है, उस स्थिति में उसके द्वारा 01 माह पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा अनुमति दिए जाने पर पूर्व की निर्धारित मासिक किराया राशि में **10 प्रतिशत** की वृद्धि करते हुए मासिक किराया शर्त के अधीन पुनः 01 वर्ष के लिए केंटीन संचालन निविदाकर्ता द्वारा किया जा सकेगा। निविदाकर्ता के पक्ष में 01 वर्ष की अनुमति दिए जाने की स्थिति में उसके द्वारा पुनः **1,50,000/–रूपये** की एफ0डी0आर0 अमानत स्वरूप दी जाएगी।

06. प्रधान जिला न्यायाधीश के अनुमोदन से केंटीन के सुचारू रूप से संचालित किए जाने एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि आदि के प्रयोजन से उचित निर्देश आवश्यकतानुसार केंटीन संचालक को दिया जाएगा, जिसका पालन करने हेतु संचालक उत्तरदायी होगा।

07. निविदाकर्ता के द्वारा केंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस को **प्रातः 09.00 बजे से सायं 06.00 बजे** तक की अवधि में किया जाएगा। समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार यथा लोक अदालत आदि विशेष अवसरों पर केंटीन का संचालन निर्देशानुसार किया जाएगा।

08. केंटीन संचालन में नियोजित कर्मचारियों को निर्धारित यूनिफार्म में उपस्थित रहना होगा, यूनिफार्म का अनुमोदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से कराया जायेगा।

09. केंटीन संचालन के लिए किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों को नियोजित नहीं करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची का सत्यापन रजिस्ट्रार जिला न्यायालय से कराया जाएगा।

10. निविदाकर्ता केंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा और खाद्य सामाग्री की दरें बाजार मूल्य से अधिक नहीं होंगी तथा खाद्य सामाग्री की दरें, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुमोदित कराई जाएंगी और उक्त अनुमोदित दर पर ही खाद्य सामाग्री का विक्रय किया जाएगा।

11. खाद्य सामाग्री की अनुमोदित दरों को केंटीन परिसर के सहज दृश्य भाग पर निविदाकर्ता द्वारा केंटीन संचालन के समय प्रदर्शित किया जाएगा।

12. निविदाकर्ता के द्वारा निविदा स्वीकार किए जाने पर प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर पालिका परिषद आगर–मालवा एवं संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक होगा और केंटीन का संचालन विहित नियमों का पालन करते हुए, श्रम विधि आदि का उल्लंघन न करते हुए करेगा।

13. निविदाकर्ता के द्वारा संचालन के समय समस्त सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए निर्धारित प्रकिया अनुसार प्रतिष्ठान का संचालन किया जाएगा और जिसका सम्पूर्ण दायित्व संचालनकर्ता पर होगा।

14. केंटीन के संचालन से संबंधित किसी भी विवाद या उत्तरदायित्व के लिये (आपराधिक उत्तरदायित्व सहित) प्रथम पक्ष का ही उत्तरदायित्व होगा द्वितीय पक्ष का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

15. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

16. प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर–मालवा का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

17. व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना तथा ऐसा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे। निविदाकर्ता के द्वारा केंटीन परिसर का स्वयं के व्यय पर आवश्यकतानुसार रंग रोगन, मरम्मत आदि कार्य पूर्व अनुमति उपरांत कर सकेगा।

18. व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रथमतः प्रस्तावित निर्माण की स्थिति से अवगत कराते

हुए अनुमोदन के उपरांत ही किया जा सकेगा।

19. व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगें तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम उपयोग नहीं करेंगे। केंटीन तथा आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने में निविदाकर्ता के असफल रहने पर केंटीन संचालनकर्ता शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

20. आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।

21. केंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर एवं जल कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

22. आवंटी का व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालन हेतु आवंटन किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त करने पर आवंटी को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा उक्त स्थान को रिक्त करा लेने का प्रधान जिला न्यायाधीश, आगर–मालवा को अधिकार होगा।

23. प्रतिष्ठान पर पान, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, पान मसाला और इस प्रकार की सामग्री का विक्रय नहीं करेंगे।

24. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र "यदि उसने पूर्व में केंटीन का कार्य किया हो" अथवा इस तरह का कोई अन्य कार्य किया हो, उक्त अनुभव आदि को समिति के द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुए उसे प्राथमिकता दी जा सकेगी।

25. निविदाकर्ता न्यायालय परिसर में स्थित केंटीन स्थान का निरीक्षण कर सकेगा।

26. विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों, अनुभवी/बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

27. केंटीन संचालनकर्ता के द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे आधारकार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में से एक दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

28. केंटीन संचालनकर्ता केंटीन के संचालन के दौरान निकले हुए अपशिष्ट खाद्य सामाग्री आदि का निराकरण उचित तरीके से करेगा।

29. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदायें **दिनांक 18.11.2024 से 30.11.2024 को सायं 05.00 बजे** तक स्वीकार की जाएंगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं को विचार में नहीं ली जाएंगी।

30. प्राप्त समस्त निविदायें **दिनांक 2.12.2024 को सायं 05.00 बजे** अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जाएंगी, जिसमें निविदाकर्ता भी उपस्थित रह सकते हैं।

13/11/24

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
आगर–मालवा (म.प्र.)

// निविदा आवेदन //

प्रति,

श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला आगर–मालवा म0प्र0

विषय :– जिला न्यायालय आगर–मालवा में केंटीन संचालन के संबंध में।

****

मैं .... नवीन जिला न्यायालय भवन आगर–मालवा में केंटीन संचालन हेतु निम्नानुसार निविदा प्रस्तुत करता हूं :–

व्यक्तिगत विवरण			
01	निविदाकर्ता व्यक्ति/संस्था का नाम व पता		
02	दूरभाष क्रमांक		
03	पेन (PAN)		
04	पहचान संबंधी दस्तावेज		
निविदा की शर्त अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया एफ0डी0आर0 एवं ई0एम0डी0 राशि का विवरण			
05	1.एफ0डी0आर0 क्रमांक दिनांक सहित		
	2.एफ0डी0आर0 राशि		
	3.जारीकर्ता बैंक का नाम		
6	ई0एम0डी0 राशि		
अनुभव (यदि कोई है तो) का विवरण			
7	संस्थान का नाम जिसमें कार्य किया गया है–		
8	अवधि		
9	अन्य विवरण यदि आवश्यक हो, पृथक से संलग्न करें		

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की समस्त शर्तों को भलि–भांति पढ़ समझ लिया गया है, जिनसे पूर्णतः सहमत हूं। मेरे द्वारा निविदा की समस्त संलग्न शर्तों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। निविदा आवेदन के साथ उक्तानुसार दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं।

AGREEMENT

First Party - --------------------------------
(Includes all the partners of
the firm for the time being, --------------------------------
their survivors or survivor,
their respective legal heirs, --------------------------------
executors or representative)

Second Party - **REGISTRAR, DISTRICT COURT, AGAR-MALWA (M.P.)**

(Includes all authroized persons)

This agreement is being executed between the said parties for operating the canteen situated in the New District Court Building, Agar-Malwa, terms and conditions are mentioned below :-

1. **First Party** shall pay rent/license fee @ **Rs. 8,863/- (Eight Thousand Eight Hundred Sixty Three Only)** per month on or before 5th day of every month in advance.

2. **First Party** shall deposit F.D.R. of **Rs. 1,50,000/- (One Lakh Fifty Thousand Rupees Only)** as Security Deposit in the name of Principal District & Session Judge Agar-Malwa.

3. **First Party** shall appoint authorised Executive to supervise, monitor and manage the services provided by the Canteen Operator and the details of said executive will be duly provided to District Registrar, Agar-Malwa.

4. **First Party** shall ensure that the proper services are provided throughout the term of the Contract.

5. **First Party** shall pay the Electricity and Water consumption charges on actual consumption basis. The electricity meter shall be installed by **First Party** at its own cost.

6. **First Party** shall ensure to depute the workers after due verification of their identity. A list of all the employees with identity verification details shall be submitted to the District Registrar. Unauthorised employees will not be permitted to work in Court premises.

7. **First Party** will provide uniform, as approved by Hon'ble Principal District & Sessions Judge, Agar-Malwa, to the employees engaged in the operation of canteen. Each employee shall wear clean uniform and carry identity card during performing their duties.

8. **First Party** will ensure that all the fruits, vegetables and other edible items are of standard quality.

9. **First Party** shall ensure that he will not use any disposable products for serving food and drink items. While using disposable material for other purposes **First Party** will strictly comply with Plastic Waste Management Rules, 2016.

10. **First Party** shall ensure that only those manufactured food products as approved or certified by FSSAI or "Ag-mark" or other food standard certificate applicable are used in canteen.

11. **First Party** will sale food items as per standards in the canteen and the rates of food items will not be more than the market price. Food items on which market price not printed/fixed price of such food items shall be fixed with the approval of Hon'ble Principal District & Sessions Judge, Agar-Malwa and the same food items will not be sold more than price so fixed.

12. **First Party** shall display the details of food items with approved price at canteen at the time of operation.

13. **First Party** shall ensure strict compliance of relevant labour laws in operation of the canteen. Ignorance of any such law will make First Party personally liable

14. **First Party** shall take all safety measures to prevent any accidental damages due to fire or other manual acts.

15. **First Party** will be liable to indemnify all the losses resulting from the acts of its employees.

16. **First Party** shall ensure compliance of all rules and regulations relating to environmental pollution, safety and welfare of the employees.

17. **First Party** shall keep the premises of Canteen neat and clean and shall also ensure cleanliness of the places where their services are extended.

18. **First Party** shall not erect any structure either temporary or semi-permanent or permanent without written permission of the Hon'ble Principal District & Sessions Judge .

19. **First Party** shall not store any obnoxious, explosive or rotten materials in the premises and shall keep the premises in proper sanitized condition.

20. **First Party** shall not use audio/video/music equipment in the Canteen.

21. **First Party** shall not sell or permit to be sold any prohibited products or products containing tobacco or other illegal psychotropic substance in the Canteen.

22. **First Party** shall not sublet or permit the allotted place to be used by unauthorised persons, any part of the premises without written permission of the Hon'ble Principal District & Sessions Judge .

23. **First Party** shall ensure compliance of all the bye-laws, notifications, orders and regulations in connection with or incidental to running the Canteen and shall seek all the statutory permission, license and registration required for the purpose at its own cost.

24. **First Party** shall run the Canteen only during Court working days & hours **9:00 AM to 06:00 PM** and otherwise as per instructions given by The Hon'ble Principal District and Sessions Judge, Agar-Malwa, from time to time.

25. The authorized official of Second Party shall have the right to enter the premises / canteen at any time to inspect the operation of canteen & check the quality of products.

26. **Second Party** will not be held liable for any kind of loss caused to First Party or its employees due to any natural or man-made calamity or negligence.

27. **First Party** shall install fire extinguisher in accordance with Fire Regulations for the safety of premises and keep the premises harmless.

28. The Hon'ble Principal District & Sessions Judge will have absolute right to cancel the Agreement without assigning any reason, at any time, by giving 15 days notice to vacate the premises. If after the period of notice the Vendor does not vacate the premises, the Hon'ble Principal District & Sessions Judge shall have right to get it vacated and in such contingency, no claim for any equipment/furniture will be tenable.

29. **First Party** shall give preference to Physically Challenged, Widows, Divorcee and Retired Army personals in giving employment in the Canteen.

30. **First Party** shall ensure installation of standard catering equipments, utensils, crockery, cutlery and furniture so as to maintain quality services with clean and hygienic atmosphere in and around the Canteen.

31. **First Party** shall ensure redressal of complaints brought to its knowledge by the Hon'ble Principal District & Sessions Judge / District Registrar or any other person as authroized by Second Party forthwith.

32. In case, First Party does not maintain the standards of cleanliness, quality of products and services in the operation of canteen, the security fund / earnest money / advance rent will be confiscated.

33. The Contract may be cancelled on breach of any of the aforementioned conditions without assigning any reason and the Vendor shall vacate the premises on receipt of 15 days notice.

34. The Hon'ble Principal District & Sessions Judge shall have absolute right to

change or modify any of the conditions or issue necessary directions, without any notice, at any time before or after execution of the Contract and the decision of Hon'ble Principal District & Sessions Judge in that regard shall be conclusive and binding to the First Party.

35. In case of any dispute, the matter shall be referred to Sole Arbitrator. The decision of the Arbitrator shall be conclusive and binding on both the parties. The First Additional District Judge shall be the Sole arbitrator.

36. **First Party** shall start operation of the Canteen within 07 days from the date of execution of this agreement. This time period can be extended by Pricinpal District Judge

This agreement is executed initially for a period one year from ---

This agreement is registered in District Court, Agar-Malwa on **date.** -----------------

Witness

1...

....

....

Signature of First Party

2...

....

....

Signature of Second Party

Registrar, District Court,

Agar-Malwa (M.P.)